राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर

(जी.3, राजमहल रेजीडेन्सी ऐरिया, सिविल लाईन फाटक, 22 गोदाम, सी–स्कीम जयपुर–302005)
Telefax:0141-2222403 | E-mail-dlbrajasthan@gmail.com | web: www.lsg.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांकःपीआरओ/डीएलबी/2017/7519　　　　　　　　　　　　　दिनांक : 15/9/2017

मैसर्स एन.एस. पब्लिसिटी
इण्डिया प्राईवेट लि.
जयपुर

विषयः– स्वच्छ भारत मिशन के विभिन्न घटकों के प्रचार–प्रसार हेतु नगरीय निकाय क्षेत्रों में स्थित राजकीय होर्डिंग्स/यूनीपोल साईट्स पर फ्लैक्स लगाने बाबत्।

स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के अन्तर्गत 15 सितम्बर, 2017 से 02 अक्टूबर, 2017 तक चलाये जाने वाले "स्वच्छता ही सेवा अभियान" हेतु आमजन में जागरूकता पैदा करने एवं प्रचार–प्रसार के लिए नगरीय निकायों में उपलब्ध होर्डिंग्स/यूनीपोल साईट्स पर 07 दिवस में फ्लैक्स लगाये जाने है।

डीआईपीआर (राजस्थान संवाद) के आदेश दिनांक 04.11.2015 एवं 28.10.2016 द्वारा आउटडोर मिडिया (होर्डिंग्स/यूनीपोल पर फ्लैक्स लगाये जाने सहित) एजेन्सियों को सूचीबद्ध किया जाकर निम्नानुसार दरें निर्धारित की गई हैः–

Description	Items	Rate of Flex (per sq. ft.)	Rate of Fixing of flex (per sq. ft.)	Total Rate (per sq. ft.)
Designing and Printing of Flex, Flex Printing in Solvent Vinyl-Eco Solvent Flex 13 OZ	Hoarding	14/-	4/-	18/-
	Unipole	12/-	4/-	16/-

नोटः वर्तमान में GST प्रभावी है, जो प्रचलित दरों के अनुसार पृथक से देय होगा।

डीआईपीआर (राजस्थान संवाद) में आपकी फर्म सूचीबद्ध है। आप उक्तानुसार डीआईपीआर दरों पर निम्न शर्तो के अध्यधीन संलग्न सूची एंव डिजाईन के अनुसार अविलम्ब कार्य प्रारम्भ करें।

1. फर्म द्वारा निर्धारित डिजाईन की बताये गये स्थल (मौके पर उपलब्ध होर्डिंग्स/यूनीपोल जहाँ है जैसी स्थिति में है) पर निर्धारित स्पेसिफिकेशन के अनुसार फ्लैक्स लगाना होगा।
2. होर्डिंग्स/यूनीपोल की वास्तविक लम्बाई व चौड़ाई (20x10 व 40x10) वर्ग फीट की गणना की जावेगी।
3. फ्लैक्स पेस्टिंग/फिक्सिंग के कार्य में प्रिन्टिंग का कार्य स्पष्ट एवं अच्छी गुणवत्ता का होना चाहिए एवं पेस्टिंग/फिक्सिंग में कोई सलवट इत्यादि नहीं होनी चाहिए।
4. फ्लैक्स की निर्धारित ऐप के माध्यम से Geotagging कर ई–मेल आई.डी. pro.geotagging@gmail.com पर भिजवायें।
5. होर्डिंग्स/यूनीपोल पर लगाये गये फ्लैक्स के भुगतान का बिल मय प्रत्येक होर्डिंग्स/यूनीपोल की फोटोग्राफ मय दिनांक एवं लोकेशन (Geotagging) फर्म दस्तावेज सहित निदेशालय में प्रस्तुत करेगी।
6. निदेशालय द्वारा Geotagging से प्राप्त सूचना के आधार पर कार्य का सत्यापन किया जायेगा, जिसके सत्यापन उपरान्त भुगतान की अभिशंषा की जावेगी।

7. Geotagging के दौरान इंटरनेट नही चलने की स्थिति में Geotagging नहीं हो पायेगी। इस स्थिति में संबंधित नगरीय निकाय के प्राधिकृत अधिकारी/कर्मचारी यथा आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी/राजस्व अधिकारी/कर निर्धारक/सहायक अभियन्ता/कनिष्ठ अभियंता/सफाई निरीक्षक/राजस्व निरीक्षक (किसी एक से) से सत्यापन करवाते हुये भिजवाना होगा।
8. वास्तविक राशि की गणना फ्लैक्स लगाने के आधार पर होगी।
9. कार्य को निर्धारित समयावधि में किया जाना होगा। कार्यादेश दिये जाने के तुरन्त पश्चात् कार्य प्रारम्भ किया जावेगा।
10. कार्य में देरी की स्थिति में नियमानुसार शास्ति आरोपित की जावेगी।
11. कार्य की मात्रा/अवधि नियमानुसार घटाई/बढ़ाई जा सकेगी। जिस हेतु निदेशक अधिकृत होंगे। उक्त कार्य के दौरान 3rd Party की Risk एव Liability स्वयं फर्म की रहेगी।
12. RTPP Act 2012 /Rule 2013 में समस्त प्रावधान लागू रहेंगे।
13. विवाद की स्थिति में निदेशक महोदय का निर्णय अंतिम व मान्य होगा।
14. न्यायिक क्षेत्र जयपुर स्थित सक्षम न्यायालय होगा।

(पवन अरोड़ा)
निदेशक एंव संयुक्त सचिव

क्रमांकःपीआरओ/डीएलबी/2017/ 7520-7719 दिनांक : 15/9/2017

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :—

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज० जयपुर।
2. निजि सचिव, प्रमुख शासन सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज० जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज० जयपुर।
4. मुख्य अभियन्ता, स्वायत्त शासन विभाग, राज० जयपुर।
5. मुख्य लेखाधिकारी, स्वायत्त शासन विभाग, राज० जयपुर।
6. जनसम्पर्क अधिकारी, स्वायत्त शासन विभाग, राज० जयपुर।
7. उप निदेशक (क्षेत्रीय) स्थानीय निकाय विभाग, समस्त।
8. आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी नगर निगम/परिषद/पालिकाएं समस्त राजस्थान।
9. विभागीय वेबसाइड पर अपलोड करने के लिये।

जनसम्पर्क अधिकारी